



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 34]

नई दिल्ली, अगस्त 19—अगस्त 25, 2018, शनिवार/श्रावण 28—भाद्र 3, 1940

No. 34]

NEW DELHI, AUGUST 19—AUGUST 25, 2018, SATURDAY/SRAVANA 28—BHARDA 3, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण साविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 273.—असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (1) सपठित उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा असम राइफल्स (परा-चिकित्सीय काडर) समूह 'ग' पदों पर भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स (परा-चिकित्सीय काडर) समूह 'ग' अनुसूचितविवीय योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- असम राइफल्स (परा-चिकित्सीय काडर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्,

"2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-पद की संख्या उसका वर्गीकरण और वेतन प्रोविडेंट फंड में स्तर बढ़ होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

If a Departmental Promotion Committee, exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.
1. Director/Joint Director (Handicrafts) - Chairman	
2. Regional Director/Deputy Director (Northern Region, New Delhi) - Member	
3. Regional Director /Deputy Director (Central Region, Lucknow) - Member	

[F. No. A-50011/04/2018-Admn.]

ARUN KUMAR YADAV, Director (Handicrafts)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 281.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, (तकनीशियन ईसीटी), भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, में तकनीशियन (ईसीटी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, तकनीशियन (ईसीटी) (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों में उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता :** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति का विवाह के प्रतीति से छूट दे लगेगी।

- शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

